सड्क सुरक्षा शीर्ष प्राथमिकता

कीर्यालय परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड सहस्त्रधारा रोड़, कुल्हान, देहरादून।

फोन न0.0135 2608106 फैक्स न0-2608108

/ प्रवर्तन / स0सु0 / 1-8(35) / 2017 संख्या 65

दिनांकः 03 - जनवरी, 2018

सेवा में

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्षः लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।

मुख्य अभियन्ता. शिवालिक परियोजना, पिन–931718 द्वारा ५६ ए०पी०ओ०. उत्तराखण्ड।

विभागाधी १एम० जी ०एस० बाई०,

0 6 JAN महास्त्रधारा रोड, देहरादून।

ज्य प्रमुख मुख्य अभियन्ता,

विषयः मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित सङ्क सुरक्षा समिति द्वारा दिये गये निर्देशें का अनुपालन किये जाने के संबंध में। महोदय

कृपया उपरोक्त विषयक सचिव, सड़क सुरक्षा समिति, भारत सरकार के पत्र संख्या—05 / 2014 / सीओआरएस(वीओएल--5) दिनांक 18--12-2017 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके अन्तर्गत मा० उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 30-11-2017 के कम में 5 किलोमीटर या उससे अधिक लम्बाई की सड़कों का डिजाईन स्टेज पर आडिट कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

अतः सन्दर्भित पत्र की प्रति इस आशय के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है कि कृपया तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न:-यथोक्त।

वहन आयुक्त,

उत्तराखण्ड।

हुण्य प्रितिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित:--मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन

🚜 सचिव परिवहन / लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।

811-12 री 8110-12 11 18 प्रवास

(स्नीता सिंह) अपर परिवहन आयुक्त,

मारे किया है। मार दी कलाकर मा का की उस कम उत्तराखण्ड। 1 मंगी प्रकुट निरम्मान त्यारामक प्रभारति



SUPREME COURT COMMITTEE ON ROAD SAFETY

Chairman: Justice K.S. Radhakrishnan

Members : S. Sundar

Dr. Nishi Mittal

Secretary: S.D. Banga Tel. No.: +91-11-23060597

Email: roadsafetysc@gmail.com

No.05/2014/CoRS (Vol-VI)

Dated: 18th December, 2017

To

The Principal Secretary (Transport)/Transport Commissioner,

All States /UTs

Clout of Uttara Khana Subject: Road Safety Audit

Sir.

The Committee has issued various directions to the States/UTs from time to time to strengthen institutional arrangements to promote road safety and implement laws and best practices by way of enforcement, engineering, education and emergency care. One of these directions relates to the road safety audit. The Committee had directed that all new road projects costing more than Rs 10 crores should be undertaken only after the design stage audit is conducted and the recommendations of the Auditor are implemented.

Attention is invited to the Order of the Hon'ble Supreme Court dated 30th 2. November, 2107, wherein the Hon'ble Supreme Court has ordered that the design stage audit of new road projects should be of 5 km or more, rather than being based on the cost of the project. The direction of the Committee should accordingly be read as follows:

40(Rd)
(ma)
22/12/12
5/12

'All new road projects of 5 km or more should be undertaken only after the design stage audit is conducted and the recommendations of the Auditor are implemented'

गर्यालय एडिएह आधुक्त उत्तराखन्ड, देहरादूर्व

Yours faithfully,

(S.D. Banga) Secretary to the Committee